रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 अक्तूबर, 1977

आश्विन 14, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 2912 / सत्रह-वि०-1-77-77

लखनऊ, 7 अक्तूबर, 1977

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला परिषद्, (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 पर दिनांक 7 अक्तूबर, 1977 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1977)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राज्य की जिला परिषदों के प्रशासन के लिए कतिपय अस्थायी प्रबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 संक्षिप्त नाम कहा जायगा।

जिला परिषदों के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

2—(1) दिनांक 10 अगस्त, 1977 से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध, एक वर्ष की अवधि अथवा जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन जिला परिषदों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, तक के लिए प्रत्येक जिला परिषद् के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्:—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे;

(ख) जिला परिषद्, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उसकी समितियों के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जायगा और जिला मजिस्ट्रेट, [जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट खण्ड (ग) के अधीन अपने अधिकार प्रतिनिहित करे] जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की दृष्टि में जिला परिषद्, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या समिति समझा जायगा;

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट पिछले अन्तिम खण्ड द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है;

(घ) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, किसी कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक आदेश दे सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती तथा सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम तीस दिन की अवधि के लिए जो उसके एक सत्र में या एक से अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखी जायगी, और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो जायं, किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

विधिमान्यता

3—जहां जिला परिषद् के अध्यक्ष के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट में निहित रहे हों और वह जिला परिषद् के पुनः संघटन के पश्चात् ऐसे अधिकारों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन तथा पालन पूर्ववत् करता रहा हो, वहां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नये अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक अध्यक्ष के अधिकारों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन या पालन करने में कृत किसी कार्य को जिला परिषद् के अध्यक्ष के रूप में विधिमान्यतः किया गया समझा जायगा मानों राज्य सरकार ने उसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के अध्याय 2 के उपबन्धों के अधीन अध्यक्ष के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया हो।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश जिल परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभत समयों पर प्रवृत्त था।

No. 2912 (2)/XVII-V—1-77-1977

Dated Lucknow, October 7, 1977

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15, 1977) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 7, 1977.

THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS (ALPAKALIK VYAVASTHA) ADHINIYAM, 1977

[U. P. ACT No. 15 OF 1977]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for certain temporary arrangements for the Administration of the Zila Parishads of the State.

IT IS hereby enacted in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977.

Temporary provisions regarding administration of Zila Parishads.

U. P. Act no. 5 of 1961.

2. (1) With effect from the 10th day of August, 1977, the provisions of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961 (hereinafter referred to as the said Adhiniyam), shall, for a period of one year or until the re-constitution of the Zila Parishads under section 22 of the said Adhiniyam, whichever is earlier, have effect in relation to each of the Zila Parishads subject to the following provisions, namely:—

(*a*) notwithstanding anything in the said Adhiniyam, the Adhyaksha, Upadhyaksha and members of the Zila Parishad shall cease to hold their respective offices;

(*b*) all powers, functions and duties of the Zila Parishad, its Adhyaksha, Upadhyaksha and Committees shall be vested in and be exercised, performed and discharged by the District Magistrate and the District Magistrate [including the person or authority to whom the District Magistrate delegate his power under clause (*c*)] shall be deemed in law to be the Zila Parishad, Adhyaksha, Upadhyaksha or the Committee, as the occasion may require ;

(*c*) subject to any general or special orders of the State Government, the District Magistrate may in respect of all or any of the powers conferred on him by the last preceding clause delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose, the powers so conferred, to any person or authority to be specified by him in that behalf;

(*d*) the State Government may from time to time by notification make such incidental and consequential order for the removal of any difficulty as may appear to it to be necessary or desirable for any of the foregoing and connected purposes.

(2) Every notification issued under clause (*d*) of sub-section (1) shall, as soon as may be after it is issued, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of not less than thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of its publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Validation.

3. Where the powers, functions and duties of the Adhyaksha of a Zila Parishad vested in the District Magistrate under clause (*b*) of sub-section (1) of section 2 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Act, 1970 and he continued to exercise, perform and discharge such powers, functions and duties after the reconstitution of the Zila Parishad then anything done by the District Magistrate in the exercise, performance or discharge of the powers, functions and duties of Adhyaksha till the election of a new Adhyaksha shall be deemed to be validly done as Adhyaksha of the Zila Parishad as if the State Government had appointed him to discharge the functions of the Adhyaksha under the provisions of Chapter II of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961.

Repeal and savings.

4. (1) The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhyadesh, 1977, is hereby repealed. U.P. Ordinance no. of 1977.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Adhyadesh shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 158 सा० (विधा०)—7-9-77—(2231)—1977—780 (मैके०)